डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 1985/चैत्र 22, 1907
No. 187] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 1985/CHAITRA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग एवम् कम्पनी कार्य मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1985

आदेश

का. आ. 326(अ)/18कक/आई डी आर ए/85 :— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), के आदेश सं. का. आ. 267 (अ)/18कक/आई डी आर ए/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 12 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 291(अ)/18कक/आई डी आर ए/83 तारीख 12 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्तूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 728(अ)/18कक/आई डी आर ए/83 तारीख 11 अक्तूबर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 784(अ)/18कक/आई डी आर ए/84 तारीख 11 अक्तूबर, 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 12 अप्रैल, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध के अधीन 12 अक्तूबर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलि है, छः मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश, 12 अक्तूबर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(3)/80-सी. यू. एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 12th April, 1985

ORDERS

S.O. 326(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 267(E)|18AA|IDRA|78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 291(E)|18AA|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 12th October, 1983 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Develoment) No. S.O. 728(E)|18AA|IDRA|83, dated the 11th October, 1983 (the period of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 12th October, 1984);

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 784(E)|18AA|IDRA|84 dated the 11th October, 1984 (the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 12th April 1985) ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Industrial Reconstruction ration of India Limited, Calcutta, for a further p. of six months upto and inclusive of the 12th Octobe— 1985 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1985.

[File No. 3(3)|80-Cus.]

का. आ. 327 (अ)/18चख/आई डी आर ए/85 :— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 506(अ)/18चख/आई डी आर ए/78, तारीख 18 अगस्त, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारिणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिसमें मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूय सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित में यह आवश्यक है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी रहे 12 अप्रैल, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रहने के लिए, समय-समय पर; घोषणा जारी की थी (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का. आ. 455 (अ)/18चख/आई डी आर ए/79, तारीख 9 अगस्त, 1979, का. आ. 628(अ)/18चख/आई डी आर ए/80, तारीख 18 अगस्त, 1980, का. आ. 651(अ)/18 चख/आई डी आर ए/81 तारीख 14 अगस्त, 1981, का. आ. 600(अ)/18 चख/आई डी आर ए/82, तारीख 17 अगस्त, 1982, का. आ. 292(अ) 18 चख/आई डी आर ए/83, तारीख 12 अप्रैल, 1983, का.आ. सं. 729(अ)/18चख/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अक्तूबर, 1983 और का. आ. सं. 785 (अ)/18चख/आई डी आर ए/84 तारीख, 11 अक्तूबर, 1984)

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को 12 अक्तूबर, 1985 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 12 अक्तूबर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3(3)/80-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 327(E)|18FB|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 506(E)|18FB|IDRA|78, dated the 18th August, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal is a party of which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities, accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is necessary in the interest of the general public that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of six months aforesaid, had declared from time to time, for such continuance, for a further period upto and inclusive of the 12th April, 1985 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development Nos. S.O. 455(E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th August, 1979, S.O. 628(E)|18FB|IDRA|80, dated the 18th August, 1980, S.O. 651(E)|18FB|IDRA|81, dated the 14th August, 1981, S.O. 600(E)|18FB|IDRA|82, dated the 17th August, 1982, S.O. 292(E)|18FB|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, S.O. 729(E)|18-FB|IDRA|83, dated the 11th October, 1983 and S.O. 785(E)|18FB|IDRA|84 dated the 11th October, 1984) ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 12th October, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1985.

[File No. 3(3)|80-Cus.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985